

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II-III/

जयपुर दिनांक :

समस्त कोषाधिकारी

विषय :- अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों को आवंटित अतिरिक्त कार्यभार आदेश की पालना कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- विभागीय आदेश संख्या 270 दिनांक 16.02.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा राजस्थान में स्थित राज्य सरकार के आबकारी एवं राजस्थान स्टेट बैवरेजेज निगम लिमिटेड कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II एवं कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों का वित्त विभाग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अतिरिक्त कार्यभार आवंटन आदेश जारी किया गया था। विभाग की जानकारी में आया है कि कतिपय कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक भी विभागीय आदेश की अनुपालना में अतिरिक्त कार्य आवंटन कार्यालयों में कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

अतः संदर्भित आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि संबंधित कार्मिकों से उक्त आदेश की पालना तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करवाये तथा कार्यग्रहण की पालना रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(के.जी.गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)

क्रमांक: एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II-III/ 511

जयपुर दिनांक : 24/03/2023

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय आदेश संख्या 270 दिनांक 16.02.2023 की पालना सुनिश्चित कर शीघ्र निदेशालय को अवगत कराये।
2. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)